

## फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिगरी नाल्ड	
वनिश्वरी	बनाम लरकार
या/वर्ष	: २४३ / २०१५

क्रमांक आजा या कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वादी ने यह वाद राज. लरकार के विरुद्ध पेश किया है एवं अनुलोष भी राज्य लरकार ले पाता है, इसलिए वादी को धरा ४० CPC के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य लरकार से अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक था।</p> <p style="text-align: center;">वादी की ओर से प्रस्ताव ले करे जा. पत्र अर्कण्टि धरा ४० CPC पेश नहीं किया है।</p> <p style="text-align: center;">अतः गुणावगुण पर विचार किए बिना यह वाद धरा ४० CPC के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>डिफेंडी फर्द जारी है। पत्रावली फेंदल शुक्रर दोसर दर्ज नठकरते कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(३)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिगरी उपखण्ड, धाकसू (१५३)</p>	